Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

अनिस खान बनाम **जावेद वगैराह**

किस्म मुकदमा **निगरानी (पंचायत)** नं0 **013** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.07.2022	निगरानी (पंचायत) प्रार्थना–पत्र बाद जांच पेश हुआ। निगराकार अनिस खान पिता सत्तार खान मुसलमान आयु 34 साल निवासी सावा ग्राम पंचायत सावा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ने अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत गैर–निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। हमने जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। निगरानी प्रार्थना–पत्र निगराकार स्वयं द्वारा प्रस्तुत किया गया। निगराकार द्वारा अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत सावा तहसील चित्तौड़गढ़ के मिसल संख्या 676/2022 दिनांक 16.03.2022 के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। निगराकार द्वार अपने निगरानी प्रार्थना–पत्र के साथ निगराधीन निर्णय दिनांक 16.03.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है एवं किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है केवल मात्र ग्राम पंचायत सावा द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 06.07.1981 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई इसके साथ ही गैर–निगराकारान की तलबी हेतु नकल–नोटिस प्रस्तुत नहीं किये गये है। हमने निगराकार के निगरानी प्रार्थना–पत्र के ग्राह्यता के बिन्दु पर चिंतन–मनन गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत क्षेत्राधिकारिता में स्थित ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्ध विधिक प्रावधानों के अध्यधीन प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण में निगराकार द्वारा प्रार्थना पत्र गैर–निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो विधि द्वारा सुस्थापित प्रावधानों के तहत प्रस्तुत नहीं किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूल, 1956 के नियम 17 के प्रावधानों का पालन किया जाना निगराकार से अपेक्षित है, जो कि हस्तगत प्रकरण में निगराकार द्वारा पालन नहीं किया जाना जाहिर होता है। इस संबंध में हमारा ठोस अभिमत है कि उक्त निगरानी प्रथम दृष्टया की न्यायालय में पोषणीय नहीं है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होना पाया जाता है, ऐसी स्थिति में निगराकार अनिस खान पिता सत्तार खान मुसलमान आयु 34 साल निवासी सावा ग्राम पंचायत सावा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत निगरानी सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है। इसके साथ ही न्याय हित में निगराकार को विधिक प्रावधानों के अध्यधीन निगरानी प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारीज किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं न्यायहित में निगराकार अनिस खान पिता सत्तार खान मुसलमान आयु 34 साल निवासी सावा ग्राम पंचायत सावा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ को इस न्यायालय में विधिक प्रावधानों के अध्यधीन गैर–निगराकारान के विरूद्ध नियमानुसार निगरानी (पंचायत) प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आदेशानुसार अभिलेख में अंकन किया जावें। अहकाम की प्रति निगराकार अनिस खान पिता सत्तार खान मुसलमान आयु 34 साल निवासी सावा ग्राम पंचायत सावा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ को वास्ते सूचनार्थ जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जावें। अहकाम की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/D- **(अरविन्द कुमार पोसवाल)** **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी** जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 04.07.2022	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official